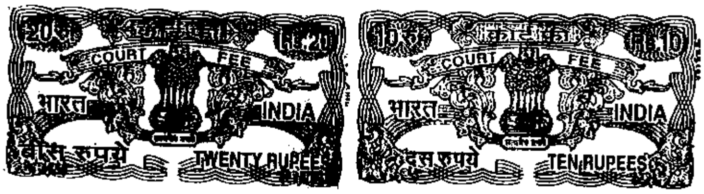

निग - 2489-I-16

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2016 जिला–श्योपुर

सुरेश कुमार पुत्र श्री सतीश कुमार खत्री
निवासी–गणपति रिसोर्ट शिवपुरी रोड श्योपुर
जिला – श्योपुर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरुद्ध

म.प्र.शासन द्वारा कलेक्टर जिला श्योपुर (म.प्र.)

...... अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक रीडर–1/2016/213 में पारित आदेश दिनांक 28.03.2016 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम जाट खेडा में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 44/क रकवा 0.449, सर्वे 44/ख रकवा 0.178 है0, सर्वे क्रमांक 45/1 रकवा 0.617, सर्वे क्रमांक 45/2 रकवा 0.575, सर्वे क्रमांक 45/3 रकवा 0.219 है0, सर्वे क्रमांक 45/4 रकवा 0.439 है0 एवं सर्वे क्रमांक 45/5 रकवा 0.209 है0, सर्वे क्रमांक 46 रकवा 1.745 है0, सर्वे क्रमांक 50/1 रकवा 0.219 है0, सर्वे क्रमांक 51/1 रकवा 1.473 है0 सर्वे क्रमांक 51/2 मिन 2 रकवा 2.748 है0, सर्वे क्रमांक 52 रकवा 0.219 है0, सर्वे क्रमांक 53/1 मिन 1 रकवा 0.167 है0, सर्वे क्रमांक 57/2 रकवा 0.470 है0 आवेदकगण के स्वत्व एवं स्वामित्व एवं अधिपत्य की भूमि है। जो उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया था।

2– यहकि, उपरोक्त भूमि के संबंध में बिना किसी जॉच के अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा एक कारण बताओ सूचना पत्र आवेदक को इस आशय से प्रस्तुत किया। कि ग्राम वासियों द्वारा कलेक्टर महोदय के समक्ष जनसुनवाई में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है कि उपरोक्त भूमियों के संबंध में बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी तरीके से भूमि परिवर्तित की गयीं है, अतः जबाव प्रस्तुत करें।

3– यहकि, जनसुनवाई में कि गयी शिकायत के आधार पर प्रकरण में न्यायिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। क्योंकि न्यायिक कार्यवाही के लिये सक्षम

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ट

प्रकरण क्रमांक पुनरीक्षण 2489/एक/2016 जिला – श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17-10-16	आवेदक अभिभाषक को प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया अभिभाषक द्वारा वर्तमान निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग श्योपुर द्वारा जारी कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 28.03.2016 के विरूद्व प्रस्तुत की है। अभिभाषक द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग श्योपुर द्वारा आवेदक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है। जिसका जबाव आवेदक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है आवेदक को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपना जबाव प्रस्तुत करें। एवं अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह आवेदक की ओर से प्रस्तुत जबाव पर विधिवत् विचार कर सकारण आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देशों के परिपेक्ष्य यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। सदस्य	